UPLK010161662025

Additional District and Session Judge Court No 5, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (RAHUL MISHRA), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –** UP02726

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–7386/2025

प्रदुमन कुमार, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र रंजीत सिंह, निवासी ग्राम कबीरपुर, पोस्ट मैरवा थाना मैरवा जिला सिवान, बिहार।

..........................अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोगी

मु०अ०सं०–120/2025
अं०धारा–317(2), 318(4), 61(2)(बी) एवं 66–सी
बी०एन०एस० आई०टी०एक्ट, 2008
थाना–साईबर क्राइम, लखनऊ।
जेल दाखिला–23.07.2025

दिनांक–23.09.2025

1– अभियुक्त प्रदुमन कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 120/2025, अंतर्गत धारा–317(2), 318(4), 61(2)(बी)बी०एन०एस० एवं 66–सी आई०टी०एक्ट, 2008 थाना–साईबर क्राइम, लखनऊ के मामले में जमानत हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से अंतरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियुक्त प्रदुमन कुमार के जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्नलिखित है–

अभियुक्त/आवेदक दिनांक 23.07.2025 से जेल में है, जो कि 23.07.2025 को सूचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0120/2025, धारा–317(2), 318(4), 61(2)(बी) बी.एन.एस. अधिनियम, 2023 एवं धारा–66–सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत थाना–साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, जिला–लखनऊ में दर्ज कराई गई थी। दिनांक 23.07.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य फोटोस्टेट प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है तथा अनुलग्नक संख्या 01 के रूप में अंकित की जा रही है। अभियुक्त/आवेदक को पुलिस द्वारा गुप्त उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक एक छात्र है और वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन पुलिस को गुप्त उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक कथित अपराध से संबंधित किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है। अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई निजी शिकायत दर्ज नहीं की गई है और बिना किसी साक्ष्य के, पुलिस ने संदेह के आधार पर उपरोक्त मामले में अभियुक्त/आवेदक का झूठा चालान किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कथित मारुति कार संख्या UP–32/ND–9659 आवेदक से संबंधित है, लेकिन यह झूठ है, क्योंकि उसका कथित वाहन से कोई संबंध नहीं है और उक्त वाहन अभियुक्त/आवेदक के नाम पर पंजीकृत नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कुछ शिकायत साइबर पोर्टल

पर दर्ज की गई है, परन्तु कथित खाते के संबंध में, जो अभियुक्त/आवेदक से संबंधित नहीं है, यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त/आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित रिकवरी मेमो का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। बीएनएस अधिनियम, 2023 की धारा–317 (2), 318 (4), 61 (2) (बी) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा–66–सी के तहत अपराध सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त/आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अभियुक्त/आवेदक संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि के साथ विश्वसनीय ज़मानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अभियुक्त/आवेदक छात्र है और उपरोक्त मामले में झूठे आरोप के कारण, भविष्य में उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अभियुक्त/आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में दुर्भावना से और केवल आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक 23.07.2025 से जेल में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अवैध और फर्जी प्रकृति की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई गई पूरी कहानी अत्यंत असंभव और संदिग्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संपूर्ण आरोप को यथावत मान लिया जाए, तब भी आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध नहीं बनता। आवेदक माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है और उसने आश्वासन दिया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा और न ही भागेगा। अभियुक्त/आवेदक ने भारतीय दंड संहिता अधिनियम, 2023 की धारा–317(2), 317(4), 318(4) 61(2)(ख) और आयकर अधिनियम, 2008 की धारा–66–ग के अंतर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, परंतु उसे दिनांक 02.08.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा–317(4) को हटा दिया है। आरोपी/आवेदक के विरुद्ध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तथा उसके बाद दिनांक 13/8/2025 को रिमांड पर लिया गया। इस कारण आवेदक ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–317(4) के अंतर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आरोपी/आवेदक की ओर से इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन प्रस्तुत या लंबित नहीं है। न्याय के हित में अभियुक्त/आवेदक को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराया गया है और कथन किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक को पुलिस द्वारा गुप्त उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक एक छात्र है और वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन पुलिस को गुप्त उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में दुर्भावना से और केवल आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक 23.07.2025 से जेल में है। अभियुक्त अपनी जमानते देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित होगा।

4– विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया और कहा गया याची अभियुक्त एक शातिर किस्म का साईबर अपराधी है जिसके द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के साथ फ्रेण्डस कालोनी के मनोरथ हाउस के बगल वाले मकान में साइबर ठगी का कार्य किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा रेड्डी पेनल, फेयर प्ले, लेसर 247.com जैसी एप के माध्यम से उत्तर

प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यो के व्यक्तियो से मोबाइल फोन लैपटाप के माध्यम से बात व एप के जरिए चैट करके उनको अपने जाल मे फसाकर पैसे जमा कराकर किराये पर लिये गये बैंक खातो मे स्थानान्तरित करा लिया जाता है तथा उन पैसो को अन्य खातो में स्थानान्तरित कर व नगद निकालकर अपने सरगना गन्नी व राजा भइया को दे देते है उक्त काम के बदले याची अभियुक्त एवं उसके साथियो को सेलरी के रूप में नकद पैसा मिलता है इनके द्वारा की जा रही ठगी के पर्याप्त साक्ष्य है। अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5– प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य निम्नलिखित है–

नकल फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी फर्द बरामदगी साईबर ठगी से अर्जित 53,200/– रुपये नकद (तिरपन हजार दो सो रूपये मात्र) 44 अदद मोबाइल फोन, 03 अदद लैपटाप, 01 अदद टैब, 42 अदद एटीएम/डेविड कार्ड, 07 अदद चेक बुकं, 13 अदद पासबुक, 14 सिम कार्ड, 01 अदद एचडीएफसी बैंक की पीओएस मशीन, 06 अदद सांइबर ठगी के हिसाब की डायरी, 01 अदद कार व गिरफ्तारी 15 नफर अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 317 (2)/317(4)/318(4)/61(2)(b) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम लखनऊ । :आज दिनांक 23.07.2024 को मै प्र0 नि0 बृजेश कुमार यादव मय उ0 नि0 नीतू सिंह मय उ०नि० प्रशान्त रघुवंशी मय हे0 का0 विवेक कुमार यादव, का0 संजय कसौधन, का0 धनीश कुमार, का0 वैभव प्रकाश नैन मय सरकारी वाहन संख्या UP70AG2349 के थाना हाजा से रवाना होकर पेडिंग विवेचना जांच अहकामात हेतु क्षेत्र में मामूर होकर अहमामाऊं चौराहा मौजूद था कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि फ्रेण्डस कालोनी के मनोरथ हाउस के बगल वाले मकान में 15 से 20 लोग रूके है और उनके पास ज्यादा मात्रा में मोबाइल, लैपटाप, एटीएम व अन्य सामाग्री है तथा लगातार फोन के माध्यम से बातचीत करते है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साइबर अपराध अथवा आनलाईन सट्टेबाजी में संलिप्त है यदि उनकी छानबीन व तलाशी ली जाय तो एक साइबर अपराध के बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है उक्त सूचना पर विश्वास कर मै नि० मौके से ही श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम महोदय को जरिये मोबाइल उक्त सूचना से अवंगत कराते हुए अन्य फोर्स की मांग की गयी कुछ ही देर मे साइबर सैल हजरतगंज से उ0 नि0 आदिल हुसैन मय का ० जितेन्द्र चौधरी, का० अविनाश, का0 अमित तिवारी, का0 पंकज के मौके पर ही उपस्थित आये तत्पश्चात मै नि० उक्त सूचना से समस्त फोर्स को अवगत कराते हुए हम पुलिस वाले .: एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर मै नि० मय पुलिस बल के सरकारी व अपनी अपनी वाहनो से चलकर फ्रेण्डस कालोनी के मनोरथ हाउस के बगल वाले मकान पर उपस्थित आये जिसकी खाना तलाशी के लिए श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम महोदय को पुनः अवगत कराया गया कम समय होने के कारण श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम महोदय, द्वारा मौखिक आदेश दिया ही. था कि एक व्यक्ति के द्वारा उक्त मकान का मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकल रहा था कि हम लोगो के द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो वह सकपकाने लगा कि तभी हम लोगो ने उक्त मकान के प्रथम तल से कई व्यक्तियो की आवाज सुनी और उनके बारे में पूछा और चलकर दिखाने को कहा तो उक्त व्यक्ति के द्वारा आगे आगे चलकर सीढियो से मकान' के प्रथम तल पर ले जाया गया तो प्रथम तल पर बने कमरे में कई व्यक्ति चेयर टैबल व जमीन पर पडे गद्दो पर बैठकर लैपटाप, टैब व मोबाईल से विभिन्न लोगो से वार्ता कर रहे थे आस 'पास मे विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड व चैक बुक पास बुक रखकर साइबर ठगी का काम कर रहे थे, हम पुलिस

वालो को देखकर अपना – अपना खुला हुआ लैपटाप बन्द करने लगे । आस पास मे पड़े हुए लैपटाप, मोबाइल, डेविड कार्ड, सिम कार्ड, चैक बुक व पास बुक को देखते ही हम पुलिस वालो के द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे हिकमत अमली से पूछताछ किया गया तो सभी ने एक स्वर मे बताया कि साहब हम लोगों के द्वारा साइबर ठगी का कार्य किया जाता है। रेड्डी पेनल, फेयर प्ले, लेसर 247.com जैसी एप के माध्यम से उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यो के व्यक्तियो से मोबाइल फोन लैपटाप के माध्यम से बात व एप के जरिए चैट करके उनको अपने जाल में फसाकर पैसे जमा कराकर किराये पर लिये गये बैंक खातो मे लेते है व लालच देकर व गुमराह कर उनका पैसा उनके खाते से विभिन्न माध्यम से संगठित होकर अन्य खातो में स्थानान्तरित कर उन पैसो को निकालकर गन्नी व राजा भइया को दे देते है उक्त काम के बदले हम लोगो सेलरी के रूप में नकद पैसा मिलता है इस तरह हम लोग साइबर ठगी करते है जिससे हम लोगो का फायदा होता है हम लोग साइबर ठगी से प्राप्त पैसो से ही मौज मस्ती करते है। हम लोगो का मुखिया गन्नी उर्फ विशाल यादव निवासी भोपाल मध्य प्रदेश व राजा सिंह उर्फ राजा भइया पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम कबीरपुर पो० मैरवा थाना मैरवा जिला सिवान बिहार मो0 न 0 8298749999, 7276121711 है जो कि मौके पर नही है कही पर गये हुए है। तत्पश्चात सभी व्यक्तियो को एक साथ एकत्रित कर गहनता से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी गया तो पहले ने अपना नाम..... प्रदुमन कुमार सिंह पुत्र रंजित सिंह निवासी ग्राम कबीरपुर पोस्ट मैरवा थाना मैरवा जिला – सिवान बिहार उम्र 26 वर्ष मो0 नं0 6202177063, 858119999 जिसकी जामातलाशी से 03 अदद मोबाइल फोन जिसमे से पेहला सेमसंग फोलड 04 बारंग गोल्ड आईएमईआई 350181337209567, मो0 नं0 6202177063 का व्हाटसएप लाग इन है जिसमे व्हाटसएप ग्रुप RUDRAKSH HISAB GROUP 'RBC53&FP25 मिला जिसमे मौके पर मौजूद सभी व्यक्ति उक्त ग्रुप के मेम्बर है और ग्रुप सक्रीय चैट करते है उक्त चैट चैक की गयी ती उक्त ग्रुप की चैट मे लाखो रुपये के साइबर ठगी के लेनदेन का हिसाब होना पाया गया जिसकी मौके पर फोटोग्राफी कर विवेचना किट में मौजूद पोर्टेबल प्रिंटर से प्रिंटआउट निकालकर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये, दूसरा मोबाइल फोन विवो बारंग काला आईएमईआई 866670068574113, पुत्र हर्शनाथ सिंह निवासी ग्राम कठैरा पो0 नवाना थाना सिकंदपुर बलिया उम्र 25 मो0 नं0 : 9648675734 जिसकी जामातलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन रोडमी बारंग सिल्वर आईएमईआई 868110058356146, 863500055273655, 7033025500, 8709731814 पडे हुए है, सातवें व्यक्ति ने अपना नाम आर्यन वरनवाल पुत्र प्रेम चन्द्र बरनवाल निवासी ग्राम पटनी पोस्ट–हाटा थाना–हाटा जनपद –कुशीनगर उम्र 19 वर्ष मो0 नं0 8174939391 जिसकी जामातलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन सेमसंग बारंग नीला आईएमईआई 350292730234100, 352693350234, 861797072659195, 867999055829977, 9942636351, 7050244746 पडे हुए है, ग्यारहवें व्यक्ति ने अपना नाम प्रीतम कुमार सिंह पुत्र प्रदीप सिंह उर्फ गोलू निवासी ग्राम कबीरपुर थाना महरवा जिला सिवान बिहार उम्र 19 मो0 नं0 7857866066 जिसकी जामातलाशी से 01 अदंद मोबाइल फोन मैटरोला बारंग नीला आईएमईआई 357807160867211, शर्मा पुत्र नंन्दलाल शर्मा निवासी ग्राम इमुलियामांझा थाना फुलवरिया जिला गोपालगंज् बिहार उम्र 19 मो0 नं0 9955017651 जिसकी जामातलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन सेमसंग बारंग हरा आईएमईआई 354068195982151, 50100686619192 खाता धारक अंकित कुमार सिंह के विरुद्ध 01 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 06. चैक बुक उत्कर्श स्माल फाइनेन्स बैंक का खाता संख्या 1535018858884852 खाता धारक रीषभ सिंह राठौर वं बरामदशुदा 13 पास बुक

जिसका विवरण क्रमशः 01.01 अदद पासबुक खाता संख्या bank of maharashtra 60526316578 मनोज कुमार के विरुद्ध 01 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है.02. 01 अदद पासबुक Karnataka bank खाता संख्या 9992505069658301 खाता धाकर दर्शन राज पीजे के विरुद्ध 06 साइबर फ्राड कम्प्लेन्ट पंजीकृतं है 03. 01 अदद पासबुक Bank of india खाता संख्या 847810110005149 खाता धारक गगन के विरुद्ध 03 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 04.01 अदद पासबुक Indian overseas bank खाता संख्या 297201000005599 खाता धारक नागेश एम आर के विरुद्ध 02 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 05.01 अदद पासबुक Indian bank खाता संख्या 7752663202 खाता धारक पूनम प्रजापति के विरुद्ध 01 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 06. 01 अदद पासबुक Karnataka bank खाता संख्या 9992505059402801 खाता धाकर केएस आदित्य के विरुद्ध 02 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 07.01 अददं पासबुक Bank of Maharashtra खाता संख्या 60539271541 खाता धाकर .: केएस आदित्य के विरुद्ध 03 साइबर फ्राड कम्पलेन्ट पंजीकृत है 08.01 अदद पासबुक Karnataka Bank खाता संख्या 9992505059403401 खाता धांकर राहुल एस 09.01 अदद पासबुक HDFC Bank खाता संख्या 50100779685246 10. 01 अदद पासबुक Indian Bank खाता संख्या 7750967234 खाता धारक असलम खान 11.01 अदद पासबुक Indian Bank खाता संख्या 7750993344 खाता धारक लखन 12. 01 अदद पासबुक SBI खाता संख्या 42858528012 खाता धारक नितिन भारती 13. 01 अदद पासबुक HDFC Bank खाता संख्या 50100739963170 बरामद उपोरक्त खातो के विरुद्ध शिकायतो के सम्पूर्ण जानकारी की जा रही है। बरामदशुदा 06 अदद साइबर ठगी के पैसो के हिसाब किताब की डायरी को खोलकर देखा गया तो प्रतिदिन लाखो के साइबर ठगी से अर्जित धनराशी व खातो का विवरण आदी अंकित है जो प्रदर्शित . करता है कि यह लोग साइबर ठगी का आपराध कारित करते है। बरामदशुदा 03 अदद लैपटाप क्रमशः 01 आसुस वीवोबुक बरंग सिल्वर माडल – TN3402QAB सीरियल नम्बर 'R2N0LP03263709 जिसे चैक किया गया तो उक्त लेपटाप वाईफाई से कनेक्टेड है और उक्त लेपटाप के वैब ब्राउसर मे कोई 100panel का पोर्टल लोगइन का पैज खुला था तथा laser24/7.com का पोर्टल लाग इन था तथा 99EXCH का पोर्टल लाग इन था तथा मो0 न 0 8982042740 का व्हाट्सएप लाग इन था जिनकी मौके पर फोटोग्राफी कर स्क्रीनसाट 'लेकर उक्त लैपटाप अभियुक्त आलोक सिंह से बरामद होने के कारण अभियुक्त उपरोक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये 02. आसुस वीवोबुक बरंग सिल्वर माडल– TN3402QAB सीरियल नम्बर R6N0LP00121322B जिसे चैक किया गया तो उक्त लेपटान वाइफाइ से कनेक्टेड है एवं उक्त लेपटाप के वैब ब्राउसर में 100panel का पोर्टल लोगइन का पैज खुला है, तथा upi9.pro का लागइन पैज खुला है, तथा fairplay के पोर्टल का लागइन पैज खुला है जिनकी मौके पर फोटोग्राफी कर स्क्रीनसाट लेकर उक्त लैपटाप अभियुक्त अभिनन्दन सिंह से बरामद होने के कारण अभियुक्त उपरोक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये 03. आसुस वीवोबुक बरंग सिल्वर माडल – TN3402QAB सीरियल नम्बर अपठनीय अंकित किया गया है उक्त लेपटाप वाइफाइ से कनेक्टेड है एवं उक्त लेपटाप के वैब ब्राउसर मे reddypanel का पोर्टल का डैसबोर्ड खुला है जिसमे पैसो का लेनदेन होना दिखाइ दे रहा है, तथा मो0 न 0 9955858884 का व्हाट्सएप लाग इन था जिनकी मौके पर फोटोग्राफी कर स्क्रीनसाट लेकर उक्त लैपटाप अभियुक्त प्रीतम कुमार सिंह से बरामद होने के कारण अभियुक्त उपरोक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये। तथा 01 अदद टैब वनप्लस टैब बरंग हरा IMEI – 865048060489690 बरामद हुआ। तथा जामातलाशी के अलावा मौके से बरामदशुदा 27 अदद मोबाइल

फोन जिसका विवरण क्रमशः 1. रेडमी बरंग काला IMEI– 1. 864726063508456 IMEI–2., 864726063508464 जिसने मो0 नं0 9517205476, 8795854029 पड़ा हुआ है2. मोबाइल मोटोरोला रंग आसमानी IMEI– 1. 353954422800038 IMEI–2. 353954422800046 जिसमे मो0 नं0 7294108242 पडा हुआ है 3. मोबाइल मोटोरोला रंग हरा IMEI–1. 353418204079591 IMEI–2. 353418204079609 जिसमे मो0 नं0 359130404650394 IMEI–2. 359130404650402 जिसमे मो०नं० 8953802312, 9546408881 पडे हुए है 5. मोबाइल मोटोरोला बरंग हरा IMEI–1. 352467542990333 IMEI–2. 352467542990341 6. मोबाइल रीयलमी सी67 बरंग काला IMEI–1. 868024063911490 IMEI–2. 868024063911482 जिसमे मो0 नं0 9263214528 पडा हुआ है 7. मोबाइल रेडमी नोट 10 बरंग नीला IMEI–1. 866131068088943 IMEI–2. 866131068088950 जिसमे मो0 नं0 7294108508, 7991682830 पडे हुए है 8. मोबाइल मोटोरोला बरंग नीला IMEI–1.. 353954422825159 IMEI–2. 353954422825167 जिसमे मो0 नं0 7291407816 पडा हुआ है 9. मोबाइल मोटोरोला रंग सिल्वर IMEI–1. 356675238925894 IMEI–2. 356675238925902 जिसमे मो0 नं0 8726558459, 8601305355 पडा हुए है 4. मोबाइल मोटोरोला रंग क्रीम IMEI–1. 8874563175, 7232946986 पडे हुए है 10. मोबाइल रेडमी 5 जी बरंग काला IMEI–1. 869116061913640 IMEI–2. 869116061913657 जिसमे मो0 नं0 9682072866 पडा हुआ है 11. मोबाइल मोटोरोला रंग हरा IMEI–1.. 353954422664798 IMEI–2. 353954422664806 जिसमे मो0 नं0 9353928291, 9204472709 पडे हुए है 12. मोबाइल मोटोरोला रंग डार्क ग्रे IMEI–1.357807164205434 IMEI–2. 357807164205442 जिसमे मो0 न 0 7971087170, 9973935558 पडा हुए है 13. मोबाइल मोटोरोला बरंग काला IMEI– 1. 359130404129654 IMEI–2. 359130404129662 जिसमे मो0 न 0 –6361928585 पड़ा हुआ है 14. मोबाइल नथिंग बरंग काला IMEI–1. 350778867066745 IMEI–2. 350778867066752 जिसमे मो0 नं0–7353204430, 8969744598 पडे हुए है 15. मोबाइल मोटोरोला बरंग काला IMEI–1. 359130404130959 IMEI–2. 359130404130967 जिसमे मो0 नं0 9234815363, 7898300803 पडे हुए है 16. मोबाइल सेमसंग बरंग हरा IMEI–1. 351712241935860 IMEI–2. 351936291935864 जिसमे मो0 नं0 7617885755 पड़ा हुआ है 17. मोबाइल मोटोरोला बरंग कांला IMEI–1. 356675235074795 IMEI–2. 356675235074803 जिसमे मो0 नं0 8429778923, 8874032859 पडे हुए है 18. मोबाइल मोटोरोला बरंग ब्लू IMEI–1. 355482464665372 IMEI–2. 355482464665380 जिसमे मो0 नं0 8797252030, 8874324387 पडे हुए है 19. मोबाइल रेडमी बरंग काला IMEI–1. 864726064758415 IMEI–2. 864726064758423 जिसमें मो0 नं0 9204601667 पड़ा हुआ है 20. मोबाइल ओपो बरंग लाल IMEI–1. 869663040482536 IMEI–2. 869663040482528 21. मोबाइल ओपो ब्लू IMEI–1, 868976051418459 IMEI–2. 868976051418467 22. मोबाइल रेडमी : बरंग काला IMEI–1. 864726064572311 IMEI–2. 864726064572329 जिसमे मो0 नं0–7897568923, 7858047901 पड़े हुए है 23. मोबाइल सेमसंग रंग ग्रें IMEI–1. 350292730536801 IMEI–2. 35269335053680724. मोबाइल मोटोरोला बरंग आसमानी IMEI–1. 353954421508236

IMEI–2.–353954421508244 जिसमे मो0 नं0 8088838978, 9939546663 पडे हुए है 25. मोबाइल ओपो रंग नीला IMEI– 1. 86678062526830 IMEI–2. 86678062526822 जिसमे मो0 नं0 7061796106, 9122609950 पडे हुए है 26. मोबाइल नथींग बरंग काला IMEI–1. 350778866039743 IMEI–2. 350778866039750 जिसमे मो0 नं0 7779928603, 7779854915 पडे हुए है 27. मोबाइल ओपो बरंग नीला IMEI–1. 865768067984373 IMEI–2. 865768067984365 जिसमे मो0 नं0 .8009977365 पडा हुआ है। तथा 01 अदद पीओएस मशीनं एचडीएफसी बैंक Verifone x990 model x990 plus m1 S/N: V9D0014346 बरामद हुयी जिसके बारे में पूछने 'पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया की इस पोस मशीन के माध्यम से हम लोग क्यू आर कोड जनरेट कर उपरोक्त बैटिंग वैबसाइट पर शेयर करते थे जिसके द्वारा भी हम साइबर ठगी का पैसा आनलाइल प्राप्त होता था। तथा बरामदशुदा 42 एटीएम कार्ड / डेविड कार्ड जिसका विवरण निम्न है सिटी यूनियन बैंक – 5085450210265413, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530992490276, आईडीबीआई – 6522667131556252, कर्नाटक बैंक– 4214920390938119, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530888341153, कोटेक महिन्द्रा बैंक– 4280990341801731 कार्ड धारक का नाम विग्नेश, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5083530245631783, आईडीबीआई बैंक– 6522667131736649, बैंक आफ महाराष्ट्र – 5088530351264700, आईडीबीआई बैंक– 6522667132461205 कार्ड धारक का नाम आनन्द यादव, आईडीबीआई बैंक– 6522667132461478 कार्ड धारक. का नाम हर्ष जायसवाल, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530153142088, आईडीबीआई बैंक– 6522667131555353 कार्ड धारंक का नाम अभिषेक, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530344484209, बैंक आफ महाराष्ट्र–5088530010296291, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530257695734, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530209629740, बैंक आफ महाराष्ट्र – 5088530828531251, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530231567140, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530346100355, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530843391012, बैंक आफ महाराष्ट्र– 5088530769419441, बैंक आफ महाराष्ट्र – 5088530101936763, आईडीबीआई बैंक– 6522667131555585 कार्ड धारक का नाम राकेश कुमार चौहान, आईडीबीआई बैंक– 6522667130583240 कार्ड धारक का नाम अनीश कुमार, आईडीबीआई बैंक– 2229567009556530 कार्ड धारक का नाम अयान्श कुमार, आईडीबीआई बैंक– 2229567009583443 कार्ड धारक का नाम रिशभ कुमार, एचडीएफसी बैंक – 4572623000625698 कार्ड धारक का नाम रन्जीत सिंह, एचडीएफसी बैंक – 5129671000310881, एचडीएफसी बैंक– 5148340311442281 कार्ड धारक का नाम रनजीत सिंह, एचडीएफसी बैंक– 5129670920001521 कार्ड धारक का नाम रन्जीत सिंह, बैंक आफ इन्डिया– 4598450255418573 कार्ड धारक का नाम मो0 फराज, बैंक आफ इन्डिया– 6079270295427431 कार्ड धारक का नाम करन, बैंक आफ इन्डिया– 6079270233840257 कार्ड धारक का नाम युवराज सिंह, इन्डियन ओवरसीज बैंक– 8173052522937049 कार्ड धारक का नाम आदर्श, कर्नाटक बैंक– 4214920383915710, कर्नाटक बैंक– 4214920383915652, बैंक आफ इन्डिया– 6079470157380427 कार्ड धारक का नाम सिवान्श मिश्रा, बैंक आफ इन्डिया– 6079470151706551, बैंक आफ इन्डिया– 6079470179400518, उत्कर्श स्माल फाईनेन्स बैंक–

3536110200632036 कार्ड धार्क का नाम अरविन्द कुमार, उत्कर्श स्माल फाईनेन्स बैंक– 2229750100026567 कार्ड धारक का नाम रन्जीत बहादुर सिंह बरामद हुआ। उसी कमरे में गद्दे के नीचे रूपया 53,200/– नकद बरामद हुआ जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया की यह नगद रूपया साइबर ठगी से अर्जित अपराध का है तथा बाहर खड़ी सफेद रंग की मारूती सुजूकी सियाज जिसका नम्बर UP32ND9659 है जिसके बारे में पूछने पर प्रदुमन सिंह द्वारा बताया गया कि यह कार मेरे नाम से ली गयी है जो साइबर ठगी से अर्जित रुपयो से खरीदी गयी है जो साइबर अपराध कारित करने में सुगम बनाता है। जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदशुदा वस्तुओ में से मोबाइल फोन को 02 पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे पास बुक, चैक बुक व बरामदा 53,200/– रूपये 01 पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे, डायरी, एटीएम कार्ड / डेविड कार्ड, सिम कार्ड, रजिस्टर व पीओएस मशीन को 01 पारदर्शी डिब्बे में रखकर, लेपटाप को सफेद टेप से लपेटकर उपरोक्त सभी डिब्बो को सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा । पकड़े गये व्यक्तियो से क्रमवार अलग अलग व संयुक्त होकर कई बार नियमानुसार व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गयी तो उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि गन्नी उर्फ विशाल यादव व राजा सिंह उर्फ राजा भइया उपरोक्त ही हम लोगो के मुखिया है उनके . निर्देश पर हम लोग पब्लिक के लोगो को लिंक भेजकर आनलाइन तरीके से साइबर ठगी करते है जिससे हमारे मुखिया लोगो का फायदा होता है जिससे हम लोगो का भी फायदा होता है व अन्य सोशल मिडिया के माध्यम से व अन्य फोन काल के माध्यम से लोगो को टास्क देकर ज्यादा फायदा पहुंचाने के नाम पर ठंगी करके रूपये एकाउण्ट में ट्रांसफर कराकर फिर अन्य फर्जी एकाउन्ट में ट्रांसफर करके पैसे निकाल लेते है तथा जिन खातो को पुलिस द्वारा डेविड फ्रीज करा दिया जाता है उन खातो का प्रयोग हम लोग नही करते है तथा कुछ दिनो बाद लैपटाप मोबाइल सिम कार्ड को नष्ट कर देतें है व अपना स्थान बदल देते है इसके साथ साथ हम लोग आन लाईन सट्टा का भी काम करके धन अर्जित करते है तथा अपने शौक पूरे करते है। उक्त तथ्यो से प्रमाणित होता है कि इनके द्वारा आम जनता के लोगो से साइबर फ्राड इन्ही बरामद मोबाइल फोन व लैपटाप से इलेक्ट्रानिक माध्यम व अन्य बरामदशुदा संसाधनो का प्रयोग कर साइबर ठगी व सट्टे का अपराध कारित किया. : जाता है। अतः पकड़े गये उपरोक्त अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराते हुए जुर्म अन्तर्गत धारा 317(2)/317(4)/318(4)/61(2) (b) बीएनएस व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत समय 02.00 AM बजे दिनाक 23/07/2025 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया जाता है। मौके पर नियमानुसार बरामदगी व गिरफ्तारी की विडीयोग्राफी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी. पुलिस कार्यवाही देख आस पास के लोग आ गये थे जिनसे मक़सद बताकर गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को द्वारा उचित माध्यम अकब से दी जायेगी। फ़र्द मौके पर मुझ नि० द्वारा बोलबोलकर उ0नि0 प्रशान्त रघुवंशी के द्वारा लैपटाप पर सिवाय टैक्निकल टाईपिंग त्रुटि के टाइप कराकर पोर्टेबल प्रिंटर के माध्यम से मौके पर फर्द की दो प्रति निकलवायी गयी तथा मौके पर ही सर्वसम्बन्धित को पढ़ कर सुना कर अलामात बनवाये जा रहे हैं, गिरफ्तारी मेमो मौके पर ही तैयार किया गया। फर्द की एक– एक प्रति अभियुक्तगण को दी जा रही है।

6– थाने से प्राप्त कमेंट के तथ्य संक्षेप में निम्न लिखित है–

अभियुक्त दि0 23.07.2025 से मुकदमा उपरोक्त में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध है। याची अभियुक्त एक शातिर किस्म का साईबर अपराधी है जिसके द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के

साथ फ्रेण्डस कालोनी के मनोरथ हाउस के बगल वाले मकान में साइबर ठगी का कार्य किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा रेड्डी पेनल, फेयर प्ले, लेसर 247.com जैसी एप के माध्यम से उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यो के व्यक्तियो से मोबाइल फोन लैपटाप के माध्यम से बात व एप के जरिए चैट करके उनको अपने जाल मे फसाकर पैसे जमा कराकर किराये पर लिये गये बैंक खातो मे स्थानान्तरित करा लिया जाता है तथा उन पैसो को अन्य खातो में स्थानान्तरित कर व नगद निकालकर अपने सरगना गन्नी व राजा भइया को दे देते है उक्त काम के बदले याची अभियुक्त एवं उसके साथियो को सेलरी के रूप में नकद पैसा मिलता है इनके द्वारा की जा रही ठगी के पर्याप्त साक्ष्य है। दौरान गिरफ्तारी मौके से साईबर ठगी से अर्जित 53,200/– रुपये नकद (तिरपन हजार दो सो रूपये मात्र) 44 अदद मोबाइल फोन, 03 अदद लैपटाप, 01 अदद टैब, 42 अदद एटीएम/डेविड कार्ड, 07 अदद चेक बुक, 13 अदद पासबुक, 14 सिम कार्ड, 01 अदद एचडीएफसी बैंक की पीओएस मशीन, 06 अदद साइबर ठगी के हिसाब की डायरी, 01 अदद कार बरामद हुई है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का साईबर अपराधी है जिसको उसके साथी सहअभियुक्तगण के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया है।

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त प्रदुमन कुमार उसके साथ संलग्न शपथपत्र का अवलोकन किया गया। मु०अ०सं०–120/2025, अ०धारा– 317(2), 318(4), 61(2)(बी)बी०एऩ०एस० एवं 66–सी आई०टी०एक्ट, 2008, थाना साईबर क्राइम, लखनऊ की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति तथा अभियुक्त प्रदुमन कुमार का मु०अ०सं०–120/2025, अ०धारा–317(2), 317(4), 318(4), 61(2)(बी)बी०एऩ०एस० एवं 66–सी आई०टी०एक्ट, 2008, थाना साईबर क्राइम, लखनऊ में जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 06.08.2025 द्वारा न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम), लखऩऊ की सत्यापित प्रति एवं ऊषा देवी के आधारकार्ड की छायाप्रति संलग्न है। विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कष्टम), लखनऊ के न्यायालय से वाद सं०–106433/2025 की पत्रावली प्राप्त हुई, जिसका मु०अ०सं०–120/2025 है। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 317(2), 318(4), 61(2)(बी) बी०एऩ०एस० एवं 66–सी सूचना प्रॉद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त धाराओं में अभियुक्तगण प्रदुमन कुमार सिंह, अखिलेश कटियार, आलोक सिंह, अभिनन्दन सिंह, इन्द्रजीत कुमार, अमित कुमार बर्नवाल, आर्यन वरनवाल, धन्नू कुमार, रिषभ सिंह, अमन कुमार सिंह, प्रीतम कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, अभिजीत कुमार शर्मा, सावन कुमार सिंह, अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध संज्ञान दिनांक 18.09.2025 को लिया जा चुका है। संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 को थाना साइबर क्राइम, लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) में दर्ज की गयी, जिसका आधार नकल फर्ज बरामदगी/गिरफ्तारी फर्द बरादमगी साईबर ठगी से अर्जित 53,200/– रुपये नकद (तिरपन हजार दो सो रूपये मात्र) 44 अदद मोबाइल फोन, 03 अदद लैपटाप, 01 अदद टैब, 42 अदद एटीएम/डेविड कार्ड, 07 अदद चेक बुकं, 13 अदद पासबुक, 14 सिम कार्ड, 01 अदद एचडीएफसी बैंक की पीओएस मशीन, 06 अदद सांइबर ठगी के हिसाब की डायरी, 01 अदद कार जिसमें 15 अभियुक्तगण को नामित किया गया है। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र सक्षम न्यायालय प्रेषित किया गया जिसमें कुल 18 गवाह बताये गये है, जिसमें से 16 गवाह पुलिस वाले हैं। अभियुक्त प्रदुमन कुमार सिंह दिनांक 23.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रस्तुत आरोप पत्र का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रदुमन कुमार सिंह,

अखिलेश कटियार, आलोक सिंह, अभिनन्दन सिंह, इन्द्रजीत कुमार, अमित कुमार बर्नवाल, आर्यन वरनवाल, धन्नू कुमार, रिषभ सिंह, अमन कुमार सिंह, प्रीतम कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, अभिजीत कुमार शर्मा, सावन कुमार सिंह, अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया और केवल अभियुक्तगण गन्नी उर्फ विशाल यादव निवासी भोपाल मध्य प्रदेश एवं राजा सिंह उर्फ राजा भईया पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम कबीरपुर पो० मैरवा थाना मैरवा जिला सिवान बिहार के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि अब यदि अभियुक्तगण गन्नी उर्फ विशाल यादव एवं राजा सिंह उर्फ राजा भइया के विरुद्ध विवेचना प्रचलित होने का आधार लिया जाये तो शेष अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, की वैयक्तिक स्वतन्त्रा के मूलभूत संवैधानिक अधिकार को बाधित किया जा सकता है। आरोप पत्र के 18 गवाह में से 16 गवाह पुलिस वाले है और यह काल्पनिक कारण की पुलिस वाले किसी से भयभीत होंगे, उनके पदीय कर्तव्य के विपरीत है और जब आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, इसका तात्पर्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किये जा चुके हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में यह कल्पना करना की अभियुक्तगण न्यायालय में प्रेषित की गयी पत्रावली में संलग्न साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, कपोलकल्पित होगा। चूंकि प्रकरण में विवेचना पूर्ण की जा चुकी है। अभियुक्त के मूल अधिकारों की सुरक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कारागार में निरुद्ध रखने का कोई यथोचित कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रकरण के गुण–दोष पर विचार किये बिने अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **प्रदुमन कुमार** की ओर से मु०अ०सं०–120/2025, अ०धारा– 317(2), 318(4), 61(2)(बी)बी०एन०एस० एवं 66–सी आई०टी०एक्ट, 2008, थाना साईबर क्राइम, लखनऊ से संबंधित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 7386/2025 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 40,000/– रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये।

1– अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा मामले से अवगत किसी भी साक्षीगण को डरायेगा धमकायेगा नहीं।

2– अभियुक्त विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप विरचन व बयान अंतर्गत धारा–313 द०प्र०स० हेतु नियत तिथि पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

(राहुल मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–5
लखनऊ।

Digitally signed by Rahul Mishra
Date: 2025.09.23 16:08:39 GST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court